भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3928

जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों की सफाई

3928. श्री अभिषेक बनर्जीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इच्छित मानकों के अनुरूप सभी प्रमुख नदियों को साफ करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): देश में नदियां शहरों/कस्बों और शहरी स्थानीय निकायों से अशोधित और आंशिक रूप से शोधित घरेलू सीवेज के निस्तारण के कारण और उनके संबंधित आवाह क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्त्राव, विलयन के अभाव, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग और प्रदूषण के अन्य नॉन पॉइंट स्त्रोतों के कारण प्रदूषित हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने इन चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में प्रदूषित जल के गिरने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें।

यह मंत्रालय नमामि गंगे कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और देश में अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता रहा है।

*****